

मुख्य भारत भारत/ नगरल डाक
परिमंडल, क पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1 06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनागत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म प्र -108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 526]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 26 अगस्त 2008—भाद 4, शक 1930

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2008

आदेश

क्र. एफ-1-12-08-सात-शा-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 26 अगस्त, 2008 से होशंगाबाद संभाग की सीमाये उसमें से सम्पूर्ण होशंगाबाद एवं हरदा जिले को अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है तथा उक्त दिनांक से भोपाल संभाग की सीमाएं उसमें से सम्पूर्ण जिला बैतूल को अपवर्जित करते हुये परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से सम्पूर्ण होशंगाबाद, हरदा तथा बैतूल जिलों को समाविष्ट करते हुये, नवीन नर्मदापुरम् संभाग का सृजन करती है. उक्त संभाग का मुख्यालय होशंगाबाद होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

एल. एन. सोनी, उपमन्त्रि.

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2008

क्र. एफ-1-12-08-सात-शा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1-12-08-सात-शा-6, दिनांक 26 अगस्त 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एल. एन. सोनी, उपमन्त्रि.

Bhopal, the 26th August 2008

ORDER

No. F-1-12-08-VII-S-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government hereby alter the limit of HOSHANGABAD DIVISION with effect from the 26th August 2008 by excluding there from the whole of HOSHANGABAD AND HARDA Districts and alter the limits of BHOPAL Division with effect from the said date by excluding there from the whole of BETUL District and create a NEW DIVISION NARMADAPURAM of the whole of HOSHANGABAD, HARDA, BETUL Districts with effect from said date. The headquarter of the said Division shall be at HOSHANGABAD.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

1051

L. N. SONI, Dy. Secy.